

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1966 / 94 / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 28/9/2018

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश


विषय- अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान संबंधी -2018-19

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1868/94/बजट/17, दिनांक 19.09.18

उपरोक्त विषय में अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान संबंधी योजना क्रमांक 7043 अन्तर्गत व्यय हेतु प्रथम छः माह के लिए निर्धारित सीमा समाप्त होने के कारण इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा प्रशासकीय विभाग के परिपत्र दिनांक 8.8.16 द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 4.2 का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किया गया था।

उक्त योजना अन्तर्गत तृतीय त्रैमास की सीमा माह अक्टूबर 2018 में ग्लोबल बजट अन्तर्गत उपलब्ध रहेगी। अतः निर्देशानुसार संदर्भित पत्र क्रमांक 1868 दिनांक 19.09.18 तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)




(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 28/9/2018

पृ0क0- 1967 / 94 / आउशि / बजट / 18
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
 2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 4. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
 5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
 6. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश